न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 62/2021 (Bank Case)
GCMS No. - 2021/113

"मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र श्री राधा किशन (ऋणी / बंधककर्ता)
   निवासी–118, एस.एफ.सी. सर्किल, कन्सुआ, उधोग पुरी, कोटा, राजस्थान 324004 व 974, ग्वालेश्वर महादेव, छावनी, कोटा–324007
   दुसरा पता– निवासी– बाबा ट्रेडिंग कम्पनी, एस.एफ.एस. चौराहा, कन्सुआ, कोटा राजस्थान
   तीसरा पता– प्लॉट/पट्टा नम्बर 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा, राजस्थान
2. हेमराज प्रजापति पुत्र श्री राधा किशन,
   निवासी–118, एस.एफ.सी. सर्किल, कन्सुआ, उधोग पुरी, कोटा, राजस्थान 324004
   दुसरा पता– प्लॉट/पट्टा नम्बर 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा, राजस्थान
3. श्रीमती शान्ति बाई पत्नि श्री राधा किशन
   निवासी–118, एस.एफ.सी. सर्किल, कन्सुआ, उधोग पुरी, कोटा, राजस्थान 324004
   दुसरा पता– प्लॉट/पट्टा नम्बर 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा, राजस्थान
4. राधा किशन पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
   निवासी– 974,ग्वालेश्वर महादेव, छावनी, कोटा, राजस्थान 324007
   दुसरा पता– प्लॉट/पट्टा नम्बर 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा, राजस्थान
   (सहऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः .08.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टाव, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 29.05.2017 को 14,04,807/– (अक्षरेःचौदह लाख चार हजार आठ सौ सात रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट/पट्टा नं0 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा (राजस्थान) 324007 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 91.54 वर्गगज हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–मकान श्री रामचन्द्र जी, पश्चिम में–मकान श्री हकीम खान, उत्तर में– सरकारी खुली जमीन, दक्षिण में– रोड स्थित है, जो कार्यालय नगर निगम द्वारा जारी पट्टा विलेख कंमाक 0558 दिनांक 18.01.2001 से राधाकिशन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के नाम जारीशुदा है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 04.02.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 15,28,020/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख अठ्ठाईस हजार बीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 18.12.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 03.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 18.12.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 03.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 18.12.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट/पट्टा नं0 558, सर्वे नम्बर 118, योजना कन्सुआ–बी, कोटा (राजस्थान) 324007 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 91.54 वर्गगज हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–मकान श्री रामचन्द्र जी, पश्चिम में–मकान श्री हकीम खान, उत्तर में– सरकारी खुली जमीन, दक्षिण में– रोड स्थित है, जो कार्यालय नगर निगम द्वारा जारी पट्टा विलेख कंमाक 0558 दिनांक 18.01.2001 से राधाकिशन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के नाम जारीशुदा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को सुनाया गया ।

20/12/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)